प्रेषक,

कुमार राघवेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-07-2002 के अनुपालन में श्री प्रभात कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र, आगरा को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में श्री प्रभात कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र के पत्र दिनांक 14-11-2013 (प्रति संलग्नक सहित संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0प0 निगम, आगरा को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री प्रभात कुमार के संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपनी तथ्यात्मक सुस्पष्ट बिन्दुवार आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in